

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :— जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 1.850 किमी)

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव विवरण।

परियोजना विवरण :— जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 1.850 किमी)

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

— संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

180लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

मोटर मार्ग हेतु।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम वारी मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा तथा जनता को यातायात एवं कृषि कारोबार में सुविधा प्राप्त होगी।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

अ. आरक्षित वन भूमि चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	1.5300 है0
ब. वन पंचायत	0.0000 है0
स. सिविल भूमि	0.0000 है0
कुल वन भूमि	1.5300 है0
द. नाप भूमि	0.1350 है0

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

लागू नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)

हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

— संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

— संलग्न है।

दिनांक.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम मोहर

रक्तान्तर.....

Executive Engineer
Tempy. Division, P.W.D.
BHOWALI (Nainital)

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना विवरण :— जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 1.850 किमी)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

परियोजना विवरण :— जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 1.850 किमी)

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

- उत्तराखण्ड

(ii) जिला

- नैनीताल

(iii) वन प्रभाग

- चम्पावत वन प्रभाग

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

- 1.530 हेक्टेएर

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

-

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

-

(i) वन का प्रकार

-

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

-

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना

-

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

-

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

-

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : — 1 किमी

-

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्त्वा :

-

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :

-

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याधि रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) — लागू नहीं है

-

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — नहीं है

-

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्यवन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — नहीं है

-

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे — नहीं है।

-

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत रथल या प्रतिरक्षात्मक रथापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें)

-

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

तिथि.....
स्थान.....

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए नज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

तिथि :
स्थान :

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17— राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग—II या भाग—III या
भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

तिथि :

स्थान